

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प नीमला

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

राजाराम


बनाम

सरकार

किस्म मुकदमा 136 एलआरएक्ट.

नम्बर 79

सन-2021

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख
28.10.2021	<p>प्रशासन गांव के अभियान कैम्प कोर्ट में प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को सुना गया।</p> <p>प्रार्थी /अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 152/142 की कुल 27.7350हैक् में से 3287/55470हैक् व खाता संख्या 53/46 की कुल 5.8050हैक् में से 1/9 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम राजेराम पुत्र हजारीराम दर्ज किया गया है जो गलत है प्रार्थी का सही नाम राजाराम पुत्र हजारीराम है।</p> <p>प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात , आम आदमी का आधार कार्ड , मतदाता फोटो पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम राजाराम पुत्र हजारीराम दर्ज है प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में राजाराम पुत्र हजारीराम दर्ज करवाना चाहता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।</p> <p>तहसीलदार नोहर की जांच रिपोर्ट /मजमे आम की जानकारी के अनुसार प्रार्थीगण का नाम राजाराम पुत्र हजारीराम है नाम संशोधन की अभिशषा की गई है।</p> <p>सरपंच ग्राम पंचायत एवं मजमे आम के द्वारा भी प्रार्थी के नाम की तस्दीक की गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम राजेराम पुत्र हजारीराम दर्ज है एवं प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत अन्य सभी दस्तावेजात मे प्रार्थी का नाम राजाराम पुत्र हजारीराम दर्ज है</p> <p>प्रार्थी के नाम के सम्बध में कैम्प के दौरान सरपंच /मजमे आम के द्वारा प्रार्थी के नाम को तस्दीक किया जाकर प्रमाण पत्र पेश किया गया</p> <p>प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं सरपंच ग्राम पंचायत नीमला की तस्दीक के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 152/147 की कुल 27.7350हैक् में से 3287/55470हैक् व खाता संख्या 53/46 की कुल 5.8050हैक् में से 1/9 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम राजेराम पुत्र हजारीराम दर्ज है के स्थान पर राजाराम पुत्र हजारीराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजरव रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ) प्रशासन गांव के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ..नीमला</p>	

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व/रीडर/2021/299

तहसीलदार राजस्व
नोहर ।

दिनांक :- 28.10.2021

विषय :- प्रकरण अनवानी राजाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- अनवान :-

1. राजाराम पुत्र हजारीराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।

प्रार्थीगण


बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त अनुवानी प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 152/142 की कुल 27.7350 हैक् में से 3287/55470 हैक् व खाता संख्या 53/46 की कुल 5.8050 हैक् में से 1/9 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम राजेराम पुत्र हजारीराम दर्ज है के स्थान पर राजाराम पुत्र हजारीराम संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान-2021
कैम्प कोर्ट- नीमला